रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052025-263006 CG-DL-E-09052025-263006

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

No. 259]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

सं. 29/2025-सीमा शुल्क

सा.का.िन. 302(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाली नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्णन को, जब उनका भारत में आयात किया जाता है, तो उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमाशुल्क से, इस अधिसूचना के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, जिसकी शर्त संख्या उक्त सारणी के कॉलम (3) की संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट है।

3084 GI/2025 (1)

सारणी

क्र.सं.	माल का विवरण	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	कला के कार्य, जिसके अंतर्गत किसी संग्रहालय या कला दीर्घा में लोक प्रदर्शन के लिए	1
	मूर्ति या चित्र आशयित हैं सार्वजनिक प्रदर्शन करना है	
2.	कला के कार्य, अर्थात सार्वजनिक सार्वजनिक स्थान में लगाने के आशय से किसी लो	1
	चरित्र के स्मारक, जिसके अंतर्गत उसके सन्निर्माण में उपयोग की गई या उपयोग किए	
	जाने है, चाहे वह कार्यरत है या नहीं, भी है	
3.	पुरावशेष और कलाकृति अधिनियम, 1972 के तहत "पुरातनता" की परिभाषा के तहत	1 और 2
	पुरावशेष और सभी वस्तुएं जो किसी भी संग्रहालय या कला गैलरी में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत हैं	

अनुलग्नक

शर्त संख्या	शर्त
1.	यदि,-
	(i) यदि स्थापन ऐसे किसी संग्रहालय या किसी कला दीर्घा को स्वयं प्रचालित करता है, आयातकर्ता ऐसे कला के कार्य या पुरातत्व के क्रयकर्ता या स्वामी होगा;
	(ii) आयातक, यथास्थिति, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त सीमाशुल्क के समध्यह वचनपत्र देगा कि इस प्रकार आयातित माल का उपयोग लोक प्रदर्शनी के लिए होगा और ऐसे आयात के पश्चात उसका विक्रय या व्यापार नहीं होगा और इस शर्त वे अनुपालन में असफल होने की दशा में, वह उक्त माल की ऐसे परिमाण के संबंध पं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए इस प्रकार उपयोग नहीं होना सिद्ध होता है, किंतु इस अधिसूचना के अधीन छूट के लिए नहीं, ऐसे परिमाण पर उद्गहणीय ड्यूटी के लिए दायी होगा; तथा
	(iii) आयातक संस्कृति मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28.05.2015 (संशोधित) वे अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, जो प्रमाणित करत है कि (क) –आयातकर्ता संग्रहालय या कला दीर्घा चलाता है जिसमे जनता की प्रतिबंध रहित
	पहुंच की अनुमित है; और (ख) –भवन जैसे कि संग्रहालय या कला दीर्घा स्पष्ट रूप से संग्रहालय कला के प्रचालके के लिए ही है।
2.	ऐसे पुरातत्व आयात की तारीख से 90 दिनों के भीतर भारत पुरातत्व सर्वेक्षण से रजिस्ट्रीकृत होंगे

[फा. सं. 190354/72/2024-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2025

No. 29/2025-Customs

G.S.R. 302(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods of the description specified in column (2) of the TABLE below and falling within the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the said Act), when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon specified in the said Schedule, subject to the relevant conditions specified in the Annexure to this notification, the Condition number of which is referred to in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE.

TABLE

S. No.	Description of goods	Condition No.
(1)	(2)	(3)
1.	Works of art including statuary and pictures intended for public exhibition in a museum or art gallery	1
2.	Works of art namely memorials of a public character intended to be put up in a public place including, materials used or to be used in their construction, whether worked or not	1
3.	Antiques and all items under the definition of "antiquity" under 'The Antiquities and Art Treasures Act, 1972" that is intended for public exhibition in any museum or art gallery	1 and 2

ANNEXURE

Condition No.	Condition		
1.	If,-		
	i. the establishment operating such a museum or an art gallery is itself the importer being the purchaser or owner of such works of art or antiques;		
	ii. the importer submits an undertaking before the Assistant Commissioner of customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, that the goods so imported shall be used for public exhibition and shall not be sold or traded after importation and that in case of failure to comply with this condition, he shall be liable to pay, in respect of such quantity of the said goods as is proved to be not being so used for the specified purposes, an amount equal to the duty leviable on such quantity but for the exemption under this notification; and		
	iii. the importer produces a certificate issued by "Authorized Officer" as per the Ministry of Culture's Gazette Notification dated 28.05.2015 certifying that-		
	a. the importer runs a museum or an art gallery which allows unrestricted access to public; and		
	b. the building housing such a museum or gallery is clearly meant for the operation of a museum or art gallery.		
2.	Such antiquities are registered with the Archaeological Survey of India within 90 days from the date of importation.		

[F. No. 190354/72/2024-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.